(6)

संख्या–162/XVI-2/ 2011/7(01)/2011

प्रेषक,

जी0 एस0 पाण्डे,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम विकास विभाग,
प्रेमनगर देहरादून।

उद्यान एवं रेशम अनुभागः–2 **देहरादूनः दिनांक 05 अप्रैल, 2011**

विषयः–वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–29 के आयोजनेत्तर पक्ष की योजना 0701–अधिष्ठान के बचनबद्ध मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग–1 के पत्र संख्या–209/XXVII(1)/2011,दिनांक–31 मार्च, 2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–29 के आयोजनेत्तर पक्ष की 0701–अधिष्ठान योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण रूप से प्राविधानित ₹55336 हजार के सापेक्ष बचनबद्ध मदों में प्राविधानित **₹51620 हजार (₹पांच करोड सोलह लाख बीस हजार मात्र) की धनराशि संलग्न विवरणानुसार** व्यय हेतु आपके निर्वतन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– इस धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है एवं धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

2– उक्त व्यय करते समय वित्त अनुभाग–1,उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–209/XXVII(1)/2011,दिनांक–31 मार्च, 2011**(छायाप्रति संलग्न)** में दिये गये दिशा– निर्देशों तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3– किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2008 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम)आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा,तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का कय सूचना प्रौद्योगिकी (I.T.) विभाग के शासनादेशों/दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

4– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5— व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है, साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

6— व्यय की सूचना प्रपत्र बी0एम0—13 पर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय तथा धनराशि का आहरण/व्यय एकमुश्त न करके आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

7— योजनावार स्वीकृत धनराशि का व्यय सम्बन्धित योजना के संगत दिशा—निर्देशों के अनुरूप ही की जायेगी। किसी भी दशा में संगत दिशा—निर्देशों से इतर कार्यवाही नहीं की जायेगी।

8— स्वीकृत की जा रही धनराशि विभागीय आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय जिससे फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न होने पाये।

9— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011—12 में अनुदान संख्या—29 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक—2401—फसल कृषि कर्म—आयोजनेत्तर—119—बागवानी एवं सब्जियों की फसलें—07—शहतूत की खेती एवं रेशम विकास—0701— अधिष्ठान योजना के अन्तर्गत **संलग्न विवरण** में अंकित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक—यथोपरि।

भवदीय,

(जी0 एस0 पाण्डे)
अपर सचिव।

संख्या—162(1)/XVI-2/11/7(01)/2011 ,तददिनांकः

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिग माजरा, देहरादून।
2. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
3. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
4. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
5. वित्त अनुभाग—4,उत्तराखण्ड शासन।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(के0पी0 पाटनी)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या–162/XVI-2/11/7(01)/2011 दिनांक: 05 अप्रैल, 2011 का संलग्नक
रेशम विकास विभाग की वर्ष 2011–12 की आयोजनेत्तर पक्ष की योजनान्तर्गत बचनबद्ध मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का मदवार विवरण।

(धनराशि हजार ₹में)

क्र0सं0	लेखाशीर्षक/योजना का नाम/मद	आय व्ययक प्राविधान	स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	2		3
	2401–फसल कृषि कर्म–आयोजनेत्तर 119–बागवानी और सब्जियों की फसलें 07–शहतूत की खेती एवं रेशम विकास 0701–अधिष्ठान		
	01–वेतन	28500	28500
	02–मजदूरी	750	750
	03–मंहगाई भत्ता	17100	17100
	04–यात्रा व्यय	500	–
	05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	50	–
	06–अन्य भत्ते	3135	3135
	07–मानदेय	25	–
	08–कार्यालय व्यय	300	–
	09–विद्युत देय	700	700
	10–जलकर/जलप्रभार	75	75
	11–लेखन सामग्री और फार्मो का छपाई	150	–
	12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	75	–
	13–टेलीफोन पर व्यय	220	220
	14–कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाडियों का क्रय	1	–
	15–गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	600	600
	16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	850	–
	17–किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	100	100
	19–विज्ञापन, विकी और विख्यापन व्यय	25	–
	22–आतिथ्य व्यय	40	40
	24–वृहद निर्माण	250	–
	25–लघु निर्माण	250	–
	26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र	100	–
	27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	400	400
	29–अनुरक्षण	150	–
	31–सामग्री सम्पूर्ति	750	–
	42–अन्य व्यय	25	–
	44–प्रशिक्षण व्यय	15	–
	45–अवकाश यात्रा व्यय	25	–
	46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	50	–
	47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बंधी स्टेशनरी का क्रय	125	–
	योग–0701–	**55336**	**51620**

(₹ पांच करोड़ सोलह लाख बीस हजार मात्र)

(के0पी0 पाटनी)
अनु सचिव